

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आदेश संख्या-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2024-पार्ट-III- 201 पटना, दिनांक- 28/02/2025

विभाग अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आमंत्रित की जा रही निविदाओं के निष्पादन के क्रम में बिड मूल्यांकन के संबंध में प्राप्त परिवाद के निस्तार हेतु विभागीय पत्रांक-199 दिनांक- 14.03.2016 द्वारा आदेश निर्गत है।

2. प्राप्त विभागीय निविदाओं में बड़ी संख्या में परिवाद पड़ने का एक बड़ा कारण तकनीकी बिड मूल्यांकन के आधार पर किसी भी निविदादाता को अमान्य करने के तुरंत बाद वित्तीय बिड खोल दिया जाना है। फलस्वरूप अमान्य घोषित निविदादाताओं को न तो अमान्य घोषित होने की पूरी जानकारी हो पाती है और न ही वे इस प्रक्रिया से संतुष्ट हो पाते हैं।

3. अतः तकनीकी निविदा मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय निविदा खोलने की प्रक्रिया को कार्यहित में समयवद्ध रूप से निस्तार करने हेतु निम्नांकित आदेश संसूचित किया जाता है :-

(i) तकनीकी बिड पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के पश्चात् इसके फलाफल (निविदादाता के असफल/ आयोज्य होने के स्थिति में कारण सहित) को अविलम्ब अधिकतम 01 (एक) कार्य दिवस के अन्दर e-procurement Portal/ विभागीय वेबसाईट पर Upload कर दिया जायेगा।

(ii) तकनीकी बिड के फलाफल पर उस निविदा के किसी निविदादाता को आपत्ति होने की स्थिति में उन्हें साक्ष्य के साथ कंडिका (i) में फलाफल Upload होने के 02 (दो) कार्य दिवस के अन्दर संबंधित मुख्य अभियंता को अपनी आपत्ति समर्पित करनी होगी।

(iii) ऊपर कंडिका (ii) में आपत्ति प्राप्त होने पर 03 (तीन) कार्य दिवस के अन्दर इसका निष्पादन किया जाना आवश्यक होगा।

(iv) ऊपर कंडिका (iii) के तहत यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कंडिका (i) के तहत फलाफल Upload होने के 03 (तीन) कार्य दिवस के पश्चात् वित्तीय बिड सक्षम प्राधिकार के द्वारा खोल दिया जायेगा।

(v) परिवादी को परिवाद के साथ साक्ष्य, शपथ पत्र जिसमें परिवादी के Address का पूर्ण विवरण पिन कोड, टेलीफोन/मोबाईल नं०, ई-मेल आईडी० अंकित हो के साथ Proof of Identity के रूप में EPIC Card, Aadhar Card, Driving Licence आदि संलग्न करना आवश्यक होगा।

छद्म नाम से प्राप्त परिवाद तथा नियमानुकूल शपथ पत्र प्राप्त नहीं होने पर परिवाद पर कार्रवाई नहीं की जायेगी। परिवाद के निस्तार के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 3/एम००७/२००५ का०-९४५ दिनांक-२१.०६.२००५ का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) वित्तीय बिड खूलने के उपरांत तकनीकी बिड पर प्राप्त परिवाद पर विचार नहीं किया जायेगा।

(vii) वित्तीय बिड खुलने के दो कार्य दिवस के पश्चात् वित्तीय बिड पर प्राप्त परिवार पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त कार्यालय आदेश संख्या-199 दिनांक-14.03.2016 में अंकित प्रावधान पूर्ववत प्रभावी रहेगे।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

AK
28/02/25

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 201.....

पटना, दिनांक-28/02/2025

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार/ सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

AK
28/02/25

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 201.....

पटना, दिनांक-28/02/2025

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

AK
28/02/25

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 201.....

पटना, दिनांक-28/02/2025

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

AK
28/02/25

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।